सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति, — अध्यक्ष
2. डा0 राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ — सदस्य
3. श्री रणवीर सिंह चिकारा, लाइव स्टाक ब्रीडर — सदस्य
4. श्री पारस नाथ सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
5. श्री रामचन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि) — सदस्य
6. प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) — सदस्य
7. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक — सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए वित्त समिति को विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ करने के लिये किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी देने के उपरान्त बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 7.1: वित्त समिति की षष्टम् बैठक दिनाँक 19 जुलाई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 19 जुलाई, 2014 को सम्पन्न षष्टम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

29/1/15 29/1/15

प्रस्ताव संख्या 7.2: वित्त समिति की षष्टम् बैठक दिनाँक 19 जुलाई, 2014 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 19 जुलाई, 2014 को सम्पन्न षष्टम् बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव संख्या–6.3 पर बैंक समाधानीकरण विवरण के पृष्ठ संख्या–5 पर दिनाँक 27 अप्रैल, 2005 को धनराशि रू0 16,800.00 नकद जमा न पाया जाने के प्रकरण पर निम्न प्रकार उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गयाः–

1.	निदेशक अनुसंधान केन्द्र	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, कृषि	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा जांच कर अधिकतम 2 माह में अपनी आख्या वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या–6.4 के सम्बन्ध में शासन से पुनः अनुरोध किया जाये कि उक्त लघु तथा आकस्मिक निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने का अधिकार पूर्व की भांति विश्वविद्यालय को ही दिया जाये, ताकि प्राथमिकता के आधार पर लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य सम्पादित कराये जा सकें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.3: वित्तीय वर्ष 2014–15 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 का अनुमानित आय–व्ययक।

व्यापक चर्चा के उपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.4: मा0 प्रबन्ध परिषद की 27वीं बैठक दिनाँक 28 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या–27.4 पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का विवरण

विश्वविद्यालय की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति से अवगत होते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की

गयी। विश्वविद्यालय फार्मों की कार्यप्रणाली में सुधार के कारण की गयी वित्तीय प्रगति के लिये प्रशंसा की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.5: आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति

आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु तीव्र गति से कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा अद्यावधिक स्थिति से वित्त समिति की आगामी बैठक में रखने हेतु कहा गया। विशेष अभियान चलाकर आपत्तियों को निस्तारित कराये जाने तथा पर्याप्त रूचि न लेने वाले अधिकारियों को सचेत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.6: विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए सेवा प्रदाता के माध्यम से कराये जा रहे लेखांकन प्रक्रिया के समस्त कार्यों को आगामी एक वर्ष हेतु वृद्धि के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए धनराशि रू0 30,000.00 प्रतिमाह (समस्त करों सहित) की दर से मैसर्स उमाकान्त मंजू एण्ड एसोसिएट्स, 665/2, मंगलपाण्डे नगर, मेरठ के द्वारा माह–01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली के कार्य सम्पादित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.7: असमायोजित अग्रिम

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों पर अवशेष धनराशि रू0 96,94,098.00 (छियानवे लाख चौरानवे हजार अट्ठानवें मात्र) एवं कार्यदायी संस्थाओं पर धनराशि रू0 2602595447.00 (दो अरब साठ करोड़ पच्चीस लाख पिच्चानवे हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) के अभी तक समायोजित न कराने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा उक्त धनराशि को शीघ्र समायोजन हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में दिनाँक 31 मार्च, 2015 तक समायोजन कराकर वित्त समिति को अवगत कराया जाये। इस कार्य में शिथिलता के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

29/12/15

प्रस्ताव संख्या 7.8: प्रशासनिक भवन के ब्लाक–ए में भूतल से द्वितीय तल तक जाने हेतु लिफ्ट का निर्माण कार्य

प्रशासनिक भवन के ब्लॉक–ए के भूतल से द्वितीय तल तक ले जाने के लिए लिफ्ट की स्थापना कराये जाने के धनराशि रू0 30.00 लाख के प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद की स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी। इस सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ द्वारा मत व्यक्त किया गया कि उक्त कार्य हेतु उ0प्र0 शासन/अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था कराया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.9: विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाना।

दिनाँक 01 दिसम्बर, 2014 से 31 मार्च, 2016 तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर धनराशि रू0 22 लाख शिक्षण मद से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी, लैंड स्केपिंग/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 7.10: विश्वविद्यालय चिकित्सालय के अंशकालिक चिकित्साधिकारी के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय चिकित्सालय के अंशकालिक चिकित्साधिकारी के मानदेय में वृद्धि करते हुए चिकित्साधिकारी का मानदेय धनराशि रू0 50,000.00 प्रतिमाह की दर से निर्धारित करने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मानदेय की दरों में उक्त वृद्धि नया विज्ञापन जारी कर अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी की मानदेय के आधार पर की गयी नियुक्ति पर ही लागू की जायेगी। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियंत्रक)

25/5/15   25/5/15

प्रस्ताव संख्या 7.11ः अन्य बिन्दु

विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कार्मिकों को वित्त एवं लेखा प्रबन्धन, कार्मिक नियम, पेंशन नियम, अभिलेखों का रख–रखाव, सेवा नियम, सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षण लेखा शीर्ष से व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियंत्रक)

29/1/4/11

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

29/1/4/15

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष